



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 जनवरी, 2012 ई०
 पौष 15, 1933 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं० 464 / य०के०डी०-वि०स० / 2012
नई दिल्ली, 05 जनवरी, 2012

अधिसूचना

सं० 464 / य०के०डी०-वि०स० / 2012 :— उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन 05 जनवरी, 2012 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य में नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः अब उक्त अधिनियम की धाराओं 30 से 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा

- (अ) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में :—
- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख | 12 जनवरी, 2012(गुरुवार); |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | 13 जनवरी, 2012(शुक्रवार); |
| (ग) | आर्थिक वापस लेने की अन्तिम तारीख | 16 जनवरी, 2012(सोमवार); |
| (घ) | वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो
मतदान होगा | 30 जनवरी, 2012(सोमवार); |



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 जनवरी, 2012 ई०
पौष 15, 1933 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

स० 464 / यू०के०डी०—वि०स० / 2012
नई दिल्ली, 05 जनवरी, 2012

अधिसूचना

स०— 464 / यू०के०डी०—वि०स० / 2012 :— उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन 05 जनवरी, 2012 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य में नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः अब उक्त अधिनियम की धाराओं 30 से 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा

(अ) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख | 12 जनवरी, 2012(गुरुवार); |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | 13 जनवरी, 2012(शुक्रवार); |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | 16 जनवरी, 2012(सोमवार); |
| (घ) | वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो
मतदान होगा | 30 जनवरी, 2012(सोमवार); |

- (ड) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा 09 मार्च, 2012 (शुक्रवार);
नियत करता है ; और
- (आ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख, को मतदान होगा।

आदेश से,

सुमित मुखर्जी,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

राधा रत्नाली,

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

No. 464/UKD-LA/2012

Dated New Delhi, January 05, 2012

NOTIFICATION

No. 464/UKD-LA/2012: - **WHEREAS**, the Governor of the State of Uttarakhand has, by notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official gazette of the State on the 5th January, 2012, been pleased to call upon all the Assembly Constituencies in the State of Uttarakhand, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) appoints, with respect to the said election in each of the constituencies:-
- (a) the 12th January, 2012 (Thursday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 13th January, 2012 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;

- (c) the 16th January, 2012 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures
 - (d) the 30th January, 2012 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken and
 - (e) the 9th March, 2012 (Friday), as the date before which the election shall be completed and
- (B) fixes the hours from 8.00 AM to 5.00 PM as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order.

SUMIT MUKHERJEE,
Secretary,
Election Commission of India.

By Order,

RADHA RATURI,
Secretary & Chief Election Officer,
Uttarakhand.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 जनवरी, 2012 ई०

पौष 15, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 19 / XXV-58 / 2011

देहरादून, 05 जनवरी, 2012

अधिसूचना

यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 12 मार्च, 2012 को समिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जायेगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (1) की शर्तों पर, राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल, राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

मार्गेट आल्वा,
राज्यपाल।
आज्ञा से,
सुमाष कुमार,
मुख्य सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 जनवरी, 2012 ई०

पौष 15, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 19 / XXV-58 / 2011

देहरादून, 05 जनवरी, 2012

अधिसूचना

यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 12 मार्च, 2012 को समिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जायेगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (1) की शर्तों पर, राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल, राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

मार्गेट आल्वा,
राज्यपाल।
आज्ञा से,
सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव।

No. 19/XXV-58/2011

Dated Dehradun, January 05, 2012NOTIFICATION

Whereas, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, unless sooner dissolved, shall continue upto and including the 12th March, 2012 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

Whereas, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), a general election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly in the State;

Now, therefore, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), the Governor of the State of Uttarakhand is hereby pleased to call upon all the Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

MARGARET ALVA,
Governor.

By Order,
SUBHASH KUMAR,
Chief Secretary.

पी०एस०य० (आर०ई०) ०२ निर्वाचन/ १९-२०१२-१००+१०० (कम्प्युटर/ रीजियो)।